

I/181888/2022

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

सीकर- II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लि0 (पावर ग्रिड कारपो० आफ इंडिया लि0 की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कं0) अलवर-राजस्थान के द्वारा 765 के0वी0 डी/सी सीकर - II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दांयी व बांयी दोनों पटरियों की 0.5293 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं अलीगढ़ में 0.0 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 0.5293 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/146255/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-168/81-2-2022-800(176)/2022 दिनांक 24 जून 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 23-06-2022 16:22:04

Reason: Approved ()

(आशीष तिवारी) पदनाम सरकारी मोहर सहित

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।